कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 5562 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 17, मार्च, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में बुँगाछीना धौनखोला रसैलपाटा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.81 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **इस कार्यालय का का पत्रांक 7890/12–1 दिनांक 30.05.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी ,जिसमें वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अनुपालन आख्या की छायाप्रति पुनः सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 7890 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 30, मई, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.81 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ – **उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 859/X –3–20/1(95)/2020 दिनांक 07–08–2020।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर नियमानुसार वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 133100.00 जमा कर दी गई है। (चालान रसीद संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रु0 532,170.00 जमा कर चालान रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी की दर से बढोत्तरी होती है तो वढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (प्रपत्र संलग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या –05–03/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 –25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के अअस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छाया प्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू – वैज्ञानिक के सुझावो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भू –वैज्ञानिक की शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रस्तावक विभाग स्तर से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रों संलग्न कर प्रेषित हैं।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः– यथोक्त।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 789० /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रपत्र 2.11

परियोजना विवरण :– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीनाधौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

आर सी0सी0 पीलरों की धनराशि को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण में आर0 सी0 सी0 पीलरों की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

योजना विवरण :– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मलवा निस्तारण आवेदित भूमि में ही लिया गया है। तथा मलवा निस्तारण दी गई जी0 पी0 एस0 रीडिंग में ही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

संख्याः 859 /X-3-20/1(95)/2020

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः07 अगस्त, 2020

विषयः **जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखौला रसैपाटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–106/FP/UK/ROAD/42150/2020 दिनांक 10 जुलाई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखौला रसैपाटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की **सैद्धान्तिक** स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

13/08/2020

6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,
07/10/2020
(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

संख्याः (1)/X-3-20/1(95)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्र Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6142150020
MoEF/SG File No.	1(95)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	665270/-

Amount in Words :Six Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896142150020 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challa even after 7 working days, then kindly mail a copy of yo id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ur ubin0903710@unionbankofindia.bank

(1) Cheque No 956828 dt 6.6.23 ₹ 133100.00

(2) Cheque No 956828 dt. 26.6.23 ₹ 532170.00

665,270.00

Paid Rs. 665270/-

05/7/23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

5. Date of start 21/04/2023

6. Date of completions 20/03/2024

अनुबन्ध में ... से ... तक वित्तीय नियमों के अनुरूप ... किया गया ...

प्रारुप–30.3

<u>परियोजना विवरण</u> :– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.810** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.00** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.810** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 31.5.018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री **सी0 रविशंकर जिलाधिकारी** पिथौरागढ अध्यक्ष
2– श्री प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य
3– श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दांग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
4– श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैंती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
5– श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
6– श्री जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.810. हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़

जि0 पं0 सदस्य
सिर्दांग 01

जि0पं0 सदस्य

प्रारुप–30

धिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 36 Dated-- 31.8.018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.810** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Batula(Musgal, Dhaunkhola)** village (s) in **Kanalichina (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.810** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी, Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. C. Ravi Shankar I.A.S deputy commissioner,. Pithoragarh dated 31.08.2018 at time ....4.00.at ..P.M. in which application claiming rights in .... area measuring 0.810 hect for the construction of **Bungachina-Raseapata to Batula (Musgal, Dhaunkhola) Motar Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Kanalichina (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Pithoragarh
Dated:..31.08.2018
Chairman

Deputy Commissioner-cum-
District Level Committe

प्रारुप–30.2

योजना विवरण :– माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य** (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.810** हे0 सिविल सोयम वन भूमि **0.000** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.810** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवलथल) की दिनांक 21/06/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [handwritten], उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [handwritten] उपजिलाधिकारी — डीडीहाट — अध्यक्ष
2– श्री [handwritten] उप प्रभागीय वनाधिकारी — डीडीहाट — सदस्य
3– श्री दलीप कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी कनालीछीना सदस्य/सचिव
4– श्रीमती गंगा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र — सदस्य
5– श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कमान सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र खाकोट सदस्य
6– श्री उमेश सिंह पुत्र शेर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र जमतड़ सदस्य
7– श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भुवन चन्द्र कापड़ी बी0डी0सी0 क्षेत्र सतगढ़ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य** परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य** परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवलथल
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवलथल
जनपद पिथौरागढ़

सदस्य
क्षेत्र पंचायत सतगढ़
विकासखण्ड कनालीछीना
जिला पिथौरागढ़

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकासखण्ड – कनालीछीना
जनपद – पिथौरागढ़

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...बाडुला (धौनखोला, मुवागल)

तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.810 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.810 हे0 वन भूमि का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बाडुला द्वारा दिनांक 20/05/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुवागल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आनसिंह

गोदावरी देवी

प्रधान

ग्राम पंचायत बाडुला

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

ह0/–

ग्राम सचिव/अधिकारी

ग्राम पंचायत मुहर सहित

क्षेत्र- बाडुला

विकास खण्ड मुनाकोट

प्रारुप–42

परियोजना का नामः– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में वुँगाछीना धौनखोला रसौपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न किया जाना है ।

1 है0 से कम भूमि प्रभावित होने के कारण लागू नही है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

तहसीलदार,
देवलथल (पिथौरागढ़)

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

प्रारुप–43

परियोजना का नामः– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुंगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित शून्य स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–25

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 22 किमी0 है।

वन क्षेत्र अधिकारी

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–54

परियोजना का नामः– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसौपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0 /
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

[illegible]
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
प्रयोक्ता पिथौरागढ़

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी0 एस0 –
01 / सड़क सरेखण / पिथौरागढ़ / 2017

जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत बुँगाछीना –रसैपाटा मोटर मार्ग का विस्तार, लम्बाई 3.500 किमी0, सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत बुंगाछीना –रसैपाटा मोटर मार्ग का विस्तार, लम्बाई 3.500 किमी0, सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

1– **प्रस्तावना:** प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ को उक्त मार्ग का निर्माण करना माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत् स्वीकृत हुआ है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण 24.09.2017 को श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता एवं श्री विरेन्द्र दानू, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। प्रस्तावित सरेखण का अध्ययन भूगर्भीय स्थिति, आकृति एवं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया, ताकि सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके।

2– **स्थिति:** यह सरेखण बुगॉछीना रसैपाटा मोटर मार्ग के किमी0 7.000 से प्रारम्भ होता है तथा धुनाखोला एवं मुसगल ग्रामों को जोड़ते हुए सुवालेख–रसैपाटा मोटर मार्ग में मिलता है।

3– **भूगर्भीय स्थिति:** यह सड़क सरेखण भीतरी लेसर हिमालय के अन्तर्गत् पिथौरागढ़ जनपद में प्रस्तावित है। इह सरेखण "पिथौरागढ़ कैल्क ज़ोन" से होकर गुजरता है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से 4 संधि समुच्चय मिलते है। इन चट्टानों में किया गया अध्ययन इस प्रकार है ।

1.	75–255 / उत्तर उत्तर पश्चिम / 35^0	नति
2.	82–262 / उत्तर उत्तर पश्चिम / 32^0	नति
3.	98–278 / उत्तर उत्तर पूर्व / 35^0	नति
4.	105–285 / उत्तर उत्तर पूर्व / 42^0	नति
5.	90–270 / दक्षिण / 40^0	नति
6.	80–260 / दक्षिण दक्षिण पूर्व / 35^0	नति
7.	100–280 / दक्षिण दक्षिण पश्चिम / 30^0	नति
8.	70–250 / दक्षिण दक्षिण पूर्व / 68^0	ज्वाइन्ट
9.	78–258 / दक्षिण दक्षिण पूर्व / 55^0	ज्वाइन्ट
10.	90–270 / दक्षिण / 40^0	ज्वाइन्ट
11.	82–262 / उत्तर उत्तर पश्चिम / 40^0	ज्वाइन्ट
12.	100–280 / उत्तर उत्तर पूर्व / 70^0	ज्वाइन्ट

इस सरेखण में भूगर्भीय विवर्तनिक कम निम्नवत है ।

मिट्टी की परत
डोलोमाइट एवं डोलोमाइटी चूना प्रस्तर

फाइलाइट
स्लेट
मृण्मय चूना प्रस्तर
स्लेट

4– स्थल वर्णन: प्रस्तावित्त मोटर मार्ग बुगॉछीना रसैपाटा मोटर मार्ग के कि०मी० 07 से प्रारम्भ होता है। इस सड़क सरेखण में पहाड़ का ढलान सामान्य से मध्यम के बीच है तथा कहीं–कहीं पर तीक्ष्ण है। प्रस्तावित सड़क में "पिथौरागढ़ कैल्क ज़ोन" के गंगोलीहाट संस्तर और सोर स्लेट की शैलें विद्यमान हैं। डोलोमाइट में कहीं–कहीं बराबर अन्तराल पर चर्ट की पट्टियॉ विद्यमान हैं। डोलोमाइट में कहीं–कहीं पर स्ट्रोमेटोलाइट विद्यमान हैं तथा डोलोमाइट का विशिष्ट लक्षण गज–चर्म अपक्षय कई स्थानों पर दिखता है। कहीं–कहीं स्लेट, मृण्मय चूना प्रस्तर के साथ अन्तरासंस्तरित है। स्लेट प्रस्तर में स्लेटी विदलन अच्छी तरह विकसित है। फाइलाइट काले एवं भूरे रंग का है तथा कहीं–कहीं पर फाइलाइट गुलाबी रंग का भी मिलता है। इस मार्ग में 04 एच0 पी0 बैंड प्रस्तावित हैं। इस मार्ग में 05 सूखे/बरसाती नालें हैं। इसमें नाप भूमि तथा वन भूमि दोनों पड़ता है।

5– स्थाईत्व का विचार: इस सरेखण की स्थल–संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

1) यह सरेखण लेसर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में है।

(2) भूकम्पीय दृष्टि से यह भू–भाग जोन V में है।

(3) इसमें 05 सूखे/बरसाती नाले हैं।

(4) सरेखण में 04 एच0 पी0 बैंड प्रस्तावित हैं।

(5) इसमें 02 ग्राम आते हैं।

(6) **सरेखण वन भूमि एवं कृषि भूमि दोनों से होकर** गुजरता है ।

(7) सरेखण का अधिकतम ग्रेडिएन्ट 1:20 है ।

(8) सरेखण सामान्य से मध्यम तथा कहीं–कहीं पर तीक्ष्ण पहाड़ी ढ़लान पर प्रस्तावित है।

9) सड़क निर्माण के समय पर्यावरण पर ध्यान देना होगा।

सुझावः इस सरेखण की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थाईत्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भू–भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते है ।

(1) सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/काजवे/पुल का निर्माण किया जाए।

(2) पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

(3) मलवा स्खलन/पात एवं गॉव वाले भाग में ब्रेस्ट/रिटेनिंग वाल का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाय।

(4) मोटर मार्ग के निर्माण के समय गॉव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

(5) मोटर मार्ग के निर्माण के समय भूकम्पीय मानकों का अनुपालन किया जाय।

(6) पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।

(7) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गों के मानकों के अनुरूप उपाय किए जाय।

(8) निर्माण के समय कृषि भूमि के ऊपरी मिट्टी की परत को बरबादी से रोका जाय।

(9) मिट्टी/मलवा वाले भाग में मार्ग के वाह्य भाग को उचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।

(10) इस सरेखण में सड़क निर्माण के पश्चात् कहीं–कहीं पर भू–स्खलन की सम्भावनाएं हैं इसलिए सड़क निर्माण के समय पहाड़ी को अधिक काटकर सड़क बनाने के बजाय स्टोन वाल की सहायता से सड़क का निर्माण उचित होगा।

(11) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किए जाय।

7— निष्कर्षः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणीः उपरोक्त मार्ग के सरेखण के निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत में विचार विमर्श किया गया ।

Singh
(डा0 आर0 ए0 सिंह)
एसोसिएट प्रोफेसर – भूविज्ञान
एल0 एस0 एम0 रा0 स्ना0 म0 विद्यालय
पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड
Dr. R. A. Singh
Associate [illegible]
L.S.M. [illegible] College
Pithoragarh, U.K., India

प्रारुप–35

नाम:– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

Task Force Certificate

Lay out of the Land-be followed as far as possible.

ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts. breast walls. retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

JE

ह0
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

(47)

प्रारुप–34

परियोजना का नाम:– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

<u>भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

G

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
पिथौरागढ़

(49)

परियोजना का नाम:– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वत: बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सडक निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पडने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप–38

परियोजना का नामः– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय [illegible] लो०नि०वि०
प्रयोक्ता एजेंसी [illegible]

प्रारुप–39

परियोजना का नामः– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–51

परियोजना का नामः– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

ह0/–
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़